

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त।
हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष।
हरियाणा राज्य में सभी निगम/बोर्ड के प्रबंधक निदेशक अथवा मुख्य प्रशासक।
उप-नियंत्रक, किराया, चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़।

यादि क्रमांक: टीए-हर(5टी)2026 /

दिनांक :

विषय :

बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने बारे - श्री परवीन कुमार गोयल, मुख्य लेखाधिकारी।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. विषयाधीन मामले में लिखा जाता है कि इस विभाग में कार्यरत श्री परवीन कुमार गोयल, लेखाधिकारी ने 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत दिनांक 30-11-2026 को सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होना है। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर-अंदर इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें कि आपके कार्यालय में वर्णित अधिकारी के विरुद्ध कुछ बकाया तो नहीं है, अन्यथा उक्त अधिकारी की सेवा-निवृत्ति उपरांत यदि ऐसा कोई मामला प्राप्त होता है तो उस स्थिति में आपका कार्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

संयुक्त निदेशक (प्र.),
कृते : महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक : टीए-हर(5टी)2026 / 5145

दिनांक : 07/08/2026

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग (वि.ले. शाखा)।
2. अधीक्षक - I / 18टी (मुख्य लेखाधिकारियों की स्थापना), खजाना तथा लेखा विभाग हरियाणा।
3. अधीक्षक - III / 25टी (पेंशन), खजाना तथा लेखा विभाग हरियाणा।
4. श्री सुनील बहल, प्रोग्रामर, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा को भेजते हुए इस पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश दिए जाते हैं।

संयुक्त निदेशक (प्र.),
कृते : महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।